

**न्यायालय :- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)  
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्यवहार वाद क्रमांक-22ए/2013

संस्थापन दिनांक-02.04.2013

हेमराज पिता जीवन, उम्र 53 वर्ष, जाति कलार,  
निवासी-वार्ड नं0 11, बैहर, तहसील बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- वादी

**विरुद्ध**

1-पार्वतीबाई पति भरतलाल, उम्र 50 वर्ष,  
निवासी-सेरपार (आमगांव), तहसील बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-देवीचन्द पिता भरतलाल, उम्र 32 वर्ष,  
निवासी-सेरपार (आमगांव), तहसील बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-राजकुमार पिता भरतलाल, उम्र 29 वर्ष,  
निवासी-सेरपार (आमगांव), तहसील बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

4-सन्जु पिता भरतलाल, उम्र 27 वर्ष,  
निवासी-सेरपार (आमगांव), तहसील बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

5-ओमकार पिता जगतलाल, उम्र 30 वर्ष,  
निवासी-बसेगांव, थाना चांगोटोला,  
तहसील व जिला-बालाघाट (म.प्र.)

6-कान्ताबाई पति दीनदयाल, उम्र 45 वर्ष,  
निवासी-बोदा(झांगुल),तहसील बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

7-होलू पिता दीनदयाल, उम्र 15 वर्ष,  
नाबालिग वली मां कांताबाई पति दीनदयाल

निवासी-बोदा(झांगुल),तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

8-पिन्टू पिता दीनदयाल, उम्र 12 वर्ष,  
नाबालिग वली मां कांताबाई पति दीनदयाल  
निवासी-बोदा(झांगुल),तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

9-कुमारी महामाया पिता दीनदयाल, उम्र 9 वर्ष,  
नाबालिग वली मां कांताबाई पति दीनदयाल  
निवासी-बोदा(झांगुल),तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

10-जुगतीबाई पति करखु, उम्र 35 वर्ष,  
निवासी-कुमनगांव ,तहसील परसवाड़ा, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

11-ताराबाई पति नारायण, उम्र 60 वर्ष,  
निवासी-रौदाटोला, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

12-म.प्र.राज्य द्वारा कलेक्टर,  
बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — प्रतिवादीगण

—: // / निर्णय // :-

(आज दिनांक-24/09/2014 को घोषित)

1- वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह व्यवहार वाद मौजा बैहर माल, प.ह.नं. 17/1, रा.नि.मं. व तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 22/2, 28 बटा 1/2 रकबा 0.30 एकड़, खसरा नम्बर 22/6 रकबा 4.56 एकड़ भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से सम्बोधित किया जावेगा) पर एकमात्र स्वत्व प्राप्त होने की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया है।

2- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 से 11 एक ही खानदान के व्यक्ति हैं तथा विवादित भूमि उनकी खानदानी भूमि है।

3- वादी के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि वादी के पिता को बंटवारे में प्राप्त हुई थी जो पक्षकारगण के नाम पर शामिल सरीक रूप से दर्ज है। विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण ने एक सहमति पत्र वादी के पक्ष में सहमति पत्र दिनांक-25.10.2004 निष्पादित किया था कि

विवादित भूमि पर केवल वादी का नाम दर्ज रहेगा और उसी का कब्जा रहेगा। उक्त सहमति पत्र के आधार पर वादी ने राजस्व प्रलेख में अपना नाम दर्ज कराने हेतु राजस्व न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया था, जिसमें उक्त दस्तावेज पर विचार किये बगैर विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में सभी खातेदारों का नाम शामिल सरीक में दर्ज कर दिया गया है। वादी ने उक्त सहमति पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में अकेले वादी का नाम दर्ज कराने और स्वत्व प्राप्त होने की घोषणा का अनुतोष चाहा है।

4— प्रतिवादी क्रमांक-5 एवं प्रतिवादी क्रमांक-10 से 11 ने पृथक-पृथक जवाबदावा पेश कर स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर वादी के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि मूल पुरुष जीवन की मृत्यु उपरांत वादी पैतृक संपत्ति में शेष वारसानों का हक व हिस्सा हड़पने का प्रारम्भ से प्रयासरत् रहा है। इसी आशय से उक्त प्रतिवादीगण की जानकारी के बगैर झूठा एवं अपंजीयत सहमति पत्र अवैध रूप से तैयार कर लिया है। विवादित भूमि पर अकेले वादी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा सभी प्रतिवादीगण का स्वामित्व निरंतर चला आ रहा है। अतएव वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

5— प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 एवं प्रतिवादी क्रमांक-6 से 9 ने जवाबदावा के अभिवचन में वादपत्र के सम्पूर्ण अभिवचन को स्वीकार किया है।

6— प्रतिवादी क्रमांक-12 प्रकरण में एकपक्षीय है तथा उसकी ओर से जवाबदावा पेश नहीं किया गया है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 व प्रतिवादी क्रमांक-6 से 9 जवाबदावा पेश करने के उपरांत एकपक्षीय रहे हैं।

7— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :-

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा बैहर माल प.ह.नं. 17/1, रा.नि.मं. एवं तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर	प्रमाणित नहीं

	22/2, 28/1, बटा 2, रकबा 0.30 एकड़ एवं खसरा नम्बर 22/6, रकबा 4.56 एकड़ भूमि पर एकमात्र वादी को स्वत्व प्राप्त है ?	
2	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

#### वादप्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण

8— यह साबित करने का भार वादी पर है कि विवादित भूमि पर सहमति पत्र दिनांक-25.10.2004 के आधार पर एकमात्र वादी का स्वत्व हो चुका है। वादी ने अपने पक्ष समर्थन में सहमति पत्र दिनांक-25.10.2004 की असल प्रति प्रदर्श पी-1 पेश की है। उक्त दस्तावेज सहमति पत्र के रूप में लिखा गया है किन्तु इसकी इबारत में यह उल्लेख है कि लिख देने वाले अर्थात् प्रतिवादी क्रमांक-1, 5, 6, 11 ने वादी के पक्ष में शामिल सरीक विवादित भूमि की देखरेख एवं कृषि कार्य हेतु स्वैच्छया से वादी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने की सहमति दी थी। इसके अलावा उक्त सहमति पत्र में यह भी उल्लेखित है कि लिख देने वाले या अन्य वारसान खानदान के लोग भविष्य में वादी का विवादित भूमि पर नाम दर्ज होने के पश्चात् किसी प्रकार का विवाद नहीं करेंगे।

9— प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादी ने कथित सहमति पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में अकेले वादी का नाम दर्ज कराने और स्वत्व प्राप्त होने की घोषणा का अनुतोष चाहा है। उक्त अनुतोष में से राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराने की सहायता वादी को राजस्व न्यायालय से प्राप्त हो सकता है और राजस्व न्यायालय के द्वारा अनुतोष प्रदान न किये जाने की दशा में राजस्व अपीलीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त हो सकता है, जिसके संबंध में राजस्व न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय को अनन्य क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है। यद्यपि वादी राजस्व न्यायालय के माध्यम से विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में एकमात्र स्वामी के रूप में अपना नाम दर्ज करवाने में सफल भी हो जाता, तब भी मात्र नामांतरण कार्यवाही से वादी को विवादित भूमि पर स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकता।

10— जहां तक कथित सहमति पत्र के आधार पर वादी को विवादित भूमि पर स्वत्व प्राप्त होने का प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कथित

सहमति पत्र प्रदर्श पी-1 की इबारत से ही यह स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज अंतरण का दस्तावेज नहीं है, बल्कि केवल यह तथ्य प्रकट करता है कि लिख देने वाले या कुछ प्रतिवादी भविष्य में वादी का विवादित भूमि पर नाम दर्ज होने के पश्चात् किसी प्रकार का विवाद नहीं करेंगे। इस प्रकार वादी का विवादित भूमि पर सुविधा की दृष्टि से राजस्व अभिलेख में मात्र नाम दर्ज कराने की सहमति को अंतरण के दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता।

11— कथित सहमति पत्र दिनांक-25.10.2004 प्रदर्श पी-1 को वादी पक्ष की ओर से मात्र प्रदर्श कराया गया है किन्तु साक्ष्य में प्रमाणित नहीं कराया गया है। किसी विवादित दस्तावेज को मात्र साक्ष्य में प्रदर्शित कर लेने से उसकी अन्तर्वस्तु प्रमाणित नहीं हो जाती है। न्यायदृष्टांत— हसीना बी विरुद्ध स्टेट आफ एम.पी., 2011(4) एम.पी.एल.जे. 140 में माननीय न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि दस्तावेज पर केवल प्रदर्श का चिन्ह लगाने का तात्पर्य यह नहीं होगा कि दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 के अनुसार साबित हो गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र दिनांक-25.10.2004 प्रदर्श पी-1 को मात्र कथित सहमति पत्र के आधार पर प्रदर्श कराया है, किन्तु इस दस्तावेज पर स्वयं वादी एवं दस्तावेज के अन्य पक्षकार के हस्ताक्षर को अंकित नहीं कराया है और न ही उक्त दस्तावेज के साक्षी को न्यायालय में पेश कर उसे विधिवत् प्रमाणित कराया है।

12— वादी द्वारा सहमति पत्र दिनांक-25.10.2004 प्रदर्श पी-1 में प्रतिवादी क्रमांक-1 से 11 में से केवल प्रतिवादी क्रमांक-1, 5, 6, 11 के ही नाम उल्लेखित हैं, जबकि शेष प्रतिवादीगण के नाम उक्त दस्तावेज में उल्लेखित नहीं हैं। ऐसी दशा में तर्क के लिए कथित सहमति पत्र विधिवत् निष्पादित होना मान भी लिया जाये तब भी उक्त सहमति पत्र अन्य प्रतिवादीगण पर बंधनकारी भी नहीं माना जा सकता। वास्तव में उक्त सहमति पत्र से वादी को कोई भी विधिक अधिकार प्राप्त होना प्रकट नहीं होता है।

13— हेमराज (वा.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिवचन के अनुरूप कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में सभी प्रतिवादीगण का नाम उक्त सहमति पत्र प्रदर्श पी-1 में दर्ज न होने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रतिवादीगण के द्वारा हक त्याग करने के संबंध में कोई पंजीकृत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी जुगतीबाई (प्र.सा.1), ओमकार (प्र.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में



अभिवचन के अनुरूप कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में कथित सहमति पत्र प्रदर्श पी-1 के निष्पादन से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। उभयपक्ष की मौखिक साक्ष्य एवं प्रकरण में प्रस्तुत तथ्य से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि वादी ने सहमति पत्र प्रदर्श पी-1 अवैध रूप से तैयार कर लिया, जिसका कोई विधिक महत्व नहीं है। उक्त दस्तोवज के आधार पर वादी को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार वादी ने अपना वाद प्रमाणित नहीं किया है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-1 'प्रमाणित नहीं' के रूप में निराकृत किया जाता है।

### सहायता एवं व्यय

14— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी ने अपना वाद प्रमाणित नहीं किया है। अतएव वादी का वाद अस्वीकार कर वाद में निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

(1) वादी का वाद निरस्त किया जाता है।

(2) वादी अपने साथ प्रतिवादीगण का भी वादव्यय वहन करेगा तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
बैहर